

# न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 12/2016 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री पूनम चन्द जैन विक्रेता मैसर्स— सुमित एन्टरप्राइजेज, जवाहर गंज, लालसोट जिला दौसा ।
2. श्री सीताराम बडाया पुत्र श्री रामेश्वर लाल बडाया मालिक मैसर्स— छोटी लाल लकडा दुकान नं0 407 से 411, रामगंज अनाज मण्डी, जयपुर ।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।

: श्री प्रकाश चन्द जैन अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण उपस्थित ।

—: आदेश :—

दिनांक:— 22.11.2017



संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 11.7.2015 को सायं 5:30 बजे मैसर्स सुमित एन्टरप्राइजेज, जवाहर गंज, लालसोट जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री पूनम चन्द जैन उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता व मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नहीं होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक किग्रा पोली पैक में सूजी (लकडाजी ब्राण्ड) के करीबन 30 पोली पैक आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी, में मिलावट का शक होने पर इनमे से नमूने की जांच हेतु 4 मूल पोली पैक सूजी (लकडाजी ब्राण्ड) नमूने की जांच हेतु खरीदी जिनकी कीमत 120 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया जो संलग्न है।

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा सूजी (लकडाजी ब्राण्ड) की मूल पैकिटो पर चिपकाकर पैकिटो को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेट कर पैकिटो पर डी.ओ. व

न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.-1301 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोट मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार-चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर पैकिटो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं हस्ताक्षर कर चारो सील्ड बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 3.12.2015 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न परिवाद है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 3.12.2015 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 4.12.2015 को डी.ओ व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ सूजी (लकडाजी ब्राण्ड) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./4096/एक्ट/2015/556 दिनांक 11.2.2016 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सूजी (लकडाजी ब्राण्ड) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः न्याय निर्णय आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि जुर्म की अनविक्षा कर दाष्ि को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित करने का श्रम करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अभियुक्तगण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ सूजी (लकडाजी ब्राण्ड) में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप है। किन्तु उक्त खाद्य पदार्थ की पैकिंग पर Nutrition Information के आधार पर मिसब्राण्ड बताया गया है, जो सही नहीं है। पैकिंग पर Nutritions की Information अंकित की हुयी है। अतः प्रकरण ड्रोप फरमाया जावे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने पर Nutrition Information Regulation No. 2.2.2(3)(ii) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011 के अनुसार अंकित नहीं की गयी है।



  
न्याय निर्णय अधिकारी एव  
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्र० सं० : 12/2016 एफ एस एस एक्ट

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./4096/एक्ट/2015/556 दिनांक 11.2.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सूजी (लकडाजी ब्राण्ड) का नमूना Contravention Regulation No. 2.2.2(3)(ii) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011 के कारण मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 सपठित नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी (अभियुक्तगण) द्वारा खाद्य पदार्थ सूजी (लकडाजी ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 सपठित नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(II) का उल्लंघन किये जाने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अभियुक्त सं० 1 श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री पूनम चन्द जैन विक्रेता मैसर्स- सुमित एन्टरप्राइजेज, जवाहर गंज, लालसोट जिला दौसा पर 5000/- (अक्षरे पांच हजार) रूपये एवं अभियुक्त सं० 2 श्री सीताराम बडाया पुत्र श्री रामेश्वर लाल बडाया मालिक मैसर्स:- छोटी लाल लकडा दुकान नं० 407 से 411, रामगंज अनाज मण्डी, जयपुर पर 15000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 22.11.2017 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।



निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया

( राजवीर सिंह चौधरी )  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा  
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा  
दिनांक:- 22.11.2017

कमांक /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री पूनम चन्द जैन विक्रेता मैसर्स- सुमित एन्टरप्राइजेज, जवाहर गंज, लालसोट जिला दौसा।
4. श्री सीताराम बडाया पुत्र श्री रामेश्वर लाल बडाया मालिक मैसर्स:- छोटी लाल लकडा दुकान नं० 407 से 411, रामगंज अनाज मण्डी, जयपुर।

( राजवीर सिंह चौधरी )  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा  
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा